



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2016/भाद्र 4, 1938

No. 586]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2016/BHADRA 4, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 817(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 में अनुसूची में, क्रमांक 2 के सामने उप-निरीक्षक (दूरसंचार) के पद से संबंधित, स्तंभ (8) के अधीन, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं से संबंधित प्रविष्टि. "4. शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षण और साक्षात्कार में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"4. शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षण में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।"

[फा. सं. 1.12013/05/2015—संगठन]

हरीश चन्द्र, निदेशक (कार्मिक-1)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1019(अ) तारीख 28 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2016

G.S.R. 817(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010, in the Schedule, against serial number 2 relating to the post of Sub-Inspector (Telecommunication), under column (8), relating to educational and other qualifications required for direct recruits, for the entry "4. Must qualify the physical efficiency test, written test and interview.", the following entry shall be substituted, namely:—

"4. Must qualify the physical efficiency test and written test."

[F. No. I. 12013/05/2015-Org.]

HARISH CHANDER, Director (Pers-I)

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 1019(E), dated the 28th December, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 818(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर काडर, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर काडर, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर काडर समूह 'ख' और 'ग' पद, भर्ती नियम, 2010 में, अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्यांक 2 के सामने उप-निरीक्षक (ओवरसियर) के पद से संबंधित, स्तंभ (8) के अधीन, सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं से संबंधित, प्रविष्टि "4. शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षण और साक्षात्कार में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4. शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षण में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।"

(ख) क्रमांक 5 के सामने कांस्टेबल (ओवरसियर) के पद से संबंधित, स्तंभ (8) के अधीन, सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हता से संबंधित, प्रविष्टि "4. शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षण और साक्षात्कार में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4. शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षण और व्यावसायिक परीक्षण में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।"

[फा. सं. 1.12013/05/2015-संगठन]

हरीश चन्द्र, निदेशक (कार्मिक-1)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686(अ) तारीख 19 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2016

G.S.R. 818(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Pioneer Cadre, Group 'B' and Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2010, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Pioneer Cadre, Group 'B' and Group 'C' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Pioneer Cadre, Group 'B' and Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2010, in the Schedule,-

(a) against serial number 2 relating to the post of Sub-Inspector (Overseer), under column (8), relating to educational and other qualifications required for direct recruits, for the entry "4. Must qualify the physical efficiency test, written test and interview.", the following entry shall be substituted, namely:-

"4. Must qualify the physical efficiency test and written test."

(b) against serial number 5 relating to the post of Constable (Pioneer), under column (8), relating to educational and other qualifications required for direct recruits, for the entry "4. Must qualify the physical efficiency test, written test, trade test and interview.", the following entry shall be substituted, namely:-

"4. Must qualify the physical efficiency test, written test and trade test."

[F. No. I. 12013/05/2015-Org.]

HARISH CHANDER, Director (Pers-I)

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R 686(E), dated the 19th August, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 819(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 में अनुसूची में, क्रमांक 2 के सामने उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) के पद से संबंधित, स्तंभ (7) के अधीन, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं से संबंधित प्रविष्टि. "(3) लिखित परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण, साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षण में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(3) लिखित परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।"

[फा. सं. 1.12013/05/2015-संगठन]

हरिश चन्द्र, निदेशक (कार्मिक-1)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 817(अ) तारीख 8 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2016

G.S.R. 819(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'B' and Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2012, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre, (Group 'B' and Group 'C' Posts), Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'B' and Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2012, in the Schedule, against serial number 2 relating to the post of Sub-Inspector (General Duty), under column (7), relating to educational and other qualifications required for direct recruits, for the entry "(3) Must qualify the written test, physical efficiency test, medical test, interview and personality test.", the following entry shall be substituted, namely:-

"(3) Must qualify the written test, physical efficiency test and medical test."

[F. No. I. 12013/05/2015-Org.]

HARISH CHANDER, Director (Pers-I)

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R 817(E), dated the 8th November, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 820(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 में अनुसूची में, स्तंभ (8) के अधीन, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं से संबंधित प्रविष्टि. "4. शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षण और साक्षात्कार में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"4. शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षण में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।"

[फा. सं. I. 12013/05/2015-संगठन]

हरिश चन्द्र, निदेशक (कार्मिक-1)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 685(अ) तारीख 19 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2016

G.S.R. 820(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the

following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Inspector (Librarian), Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2010, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Inspector (Librarian), Group 'B' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Inspector (Librarian), Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2010, in the Schedule, under column (8), relating to educational and other qualifications required for direct recruits, for the entry "4. Must qualify the physical efficiency test, written test and interview.", the following entry shall be substituted, namely:-

"4. Must qualify the physical efficiency test and written test."

[F. No. I. 12013/05/2015-Org.]

HARISH CHANDER, Director (Pers-I)

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 685(E), dated the 19th August, 2010.